Headline: Sovereign Gold Bond: Take advantage of tax benefits on maturity	
Source: Hindustan	**Date:** 4 September 2016

गोल्ड बॉन्ड : परिपक्वता पर टैक्स छूट का फायदा पाएं

हुजैन मिस्त्री, स्ट्रेटेजिक बिजनेस हेड (करेंसी, करेंसी डेरिवेटिव्स एंड फिक्स्ड इनकम), एनएसई

सरकार ने 2015 के बजट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) स्कीम प्रस्तावित की थी। कुछ बदलावों के बाद इसकी जारी होने वाली पांचवी किस्त लोगों के लिए बेहद आकर्षक बन गई है। इसकी कुछ खास विशेषताएं देखते हैं, जिससे कि बॉन्ड पेपर के रूप में सोने में निवेश किया जा सके। साधारण शब्दों में एसजीबी, सोने के एक ग्राम के बानक में सरकारी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) है। निवेशक बॉन्ड के फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक डीमैट खाते का विकल्प चुन सकता है, लेकिन फिजिकल रूप में सोने का विनिमय नहीं हो सकता है।

फिलहाल अंशदान के लिए 9 सितंबर तक खुला है। ये बांड्स रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं। बॉन्ड की अवधि आठ वर्ष की है, जबकि 5 वर्ष के बाद ब्याज भुगतान दिनांक पर बाहर निकलने का विकल्प होगा। भारत सरकार द्वारा 2.75 प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है, जिसका भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर होगा। इश्यू का कीमत 3,150 रुपये प्रति ग्राम है।

परिपक्वता पर टैक्स छूट : निवेश की चर्चा हो रही है तो मुनाफे की दशा में, टैक्स (करों) के विषय में भी जानकारी होना चाहिए। बॉन्ड से मिले ब्याज पर टीडीएस लागू नहीं होगा। परिपक्वता के पहले बॉन्ड के ट्रांसफर होने पर इंडेक्सेशन लाभ मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तीन सालों के बाद लागू होगा। हालांकि रीडम्पशन (परिपक्वता पर बेचकर भुगतान लेना) पर कैपिटल गेन नहीं लिया जाएगा।

सलाह

कैसे शामिल होंगे लोग : आम लोगों के लिए इसमें शामिल होना बेहद आसान है। एनएसई ब्रोकर्स निम्नलिखित तरीके से इसका अंशदान विभिन्न प्रकार के ग्राहकों से स्वीकार करते हैं।

वर्तमान ऑनलाइन ग्राहक : ऐसे ग्राहक अंशदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वर्तमान ऑफलाइन ग्राहक : ऐसे ग्राहक फोन, ई-मेल द्वारा, स्वयं जाकर या ब्रोकर द्वारा सुझाए गए तरीके से आवेदन कर सकते हैं।

नए ग्राहक : व्यक्ति रूप से या ब्रोकर द्वारा बताए तरीके से अंशदान कर सकता है। एनएसई से संबद्ध रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड ब्रोकर के माध्यम से भी अंशदान कर सकते हैं।